



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 273 राँची, शुक्रवार,

20 जून, 2025 (ई०)

जल संसाधन विभाग

संकल्प

13 जून, 2025

संख्या-462--

विषय:- झारखण्ड राज्य के समेकित विकास हेतु राज्य में स्थित रिभर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता, विकास, इसके बहुआयामी उपयोग तथा कुशल प्रबंधन हेतु प्रथम झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन के संबंध में।

- बिहार राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप नवसृजित झारखण्ड राज्य के समेकित विकास हेतु राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित रिभर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता, विकास तथा प्राकृतिक संतुलन के साथ इसके बहुआयामी उपयोग एवं कुशल प्रबंधन के लिये विस्तृत रणनीति तैयार करने, जलवायु परिवर्तनपर जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये राष्ट्रीय जल मिशन के प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु तैयार की गयी नीतियों को मूर्त रूप देने हेतु झारखण्ड में प्रथम झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन से संबंधित संकल्प दिनांक-06.05.2015 निर्गत किया गया था।
- प्रथम झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष निर्धारित किया गया था। परन्तु आयोग के सदस्य में सुयोग्य तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण जल संसाधन आयोग अस्तित्व में ही नहीं आ सका तथा निर्धारित कार्यकाल दिनांक-05.05.2018 को समाप्त हो गया।

- उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड राज्य के समेकित विकास की आवश्यकता को देखते हुए राज्य में स्थित रिभर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता, विकास, उसके बहुआयामी उपयोग तथा कुशल प्रबंधन हेतु प्रथम झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग के पुनः गठन का निर्णय लिया गया है।
- राज्य जल संसाधन आयोग का संगठनात्मक स्वरूप **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है। प्रथम झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग के संचालन के लिये त्रिस्तरीय समिति गठित की जाती है, जिसका संरचनात्मक स्वरूप निम्नवत है:-
 - (i) विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं जल संसाधन विभाग के सचिव तथा अभियंता प्रमुख-I एवं II सदस्य होंगे।
 - (ii) आयोग के कार्यकारी समिति के गठन का प्रस्ताव है, जिसमें अनुभवी अभियंताओं, जल संसाधन विकास विशेषज्ञ, जल विज्ञान(Hydrology) विशेषज्ञ, कृषि/मृदा संरक्षण विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ, कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले जल संसाधन क्षेत्र में झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ, उपकुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, झारखण्ड, राँची द्वारा नामित कृषि/मृदा विशेषज्ञ तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड के जल संसाधन विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में शामिल किये जायेंगे।
 - (iii) आयोग के लिए Technical Committee का गठन किया जाएगा जिसमें जल संसाधन विभाग में कार्यरत नियमित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रूप से प्रतिनियुक्त किया जाएगा अथवा आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ/कर्मियों की संविदा आधारित सेवाएँ प्राप्त की जाएंगी।
- सदस्यों के मानदेय, डी०ए०, टी०ए० एवं अन्य भत्तों के लिए, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र/संकल्प में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- आयोग का कार्यकाल दो वर्षों के लिये प्रस्तावित है, कार्यकाल की यह अवधि आयोग के त्रिस्तरीय समिति के सभी सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात् आयोग के कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक की तिथि से प्रभावी होगी जबकि इसे स्थापित करने की सभी गतिविधियाँ संकल्प निर्गमन की तिथि से प्रारम्भ होगी।
- आयोग पर (02) दो वर्षों में लगभग 23,97,58,232 (तेईस करोड़ सतान्वें लाख अठ्ठावन हजार दो सौ बत्तिस रुपये) मात्र का व्यय अनुमानित है। इस राशि का व्यय वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।
- आयोग अन्तर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं, की अधिप्राप्ति हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा एवं वित्त विभाग के संकल्प सं०-2353 दिनांक-08.10.2021 के अनुसार झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 (ए) के आलोक में Gem Portal पर उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति बाध्यकारी होगी।
- प्रथम झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग में इन विशेषज्ञ सदस्यों में से कुछ की सेवा-अवधि पूर्णकालिक एवं कुछ सदस्यों की अंशकालिक होगी। आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में सरकारी/गैर सरकारी संगठन से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की सेवा विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में संविदा आधारित सेवाएँ प्राप्त की जाएँगी।

➤ प्रथम झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत कार्यकलाप से संबंधित Term of Reference (ToR) निम्नवत है:-

1. राष्ट्रीय जल नीति/झारखण्ड राज्यजल नीति में दिए गये प्रावधानों के आलोक में राज्य में जल संसाधन का विकास एवं प्रबंधन की वर्तमान नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना एवं राज्य के हितों के अनुरूप उपयुक्त सुधार एवं सुझाव देना।
2. झारखण्ड राज्य के सह बेसिन राज्यों के साथ राज्य सरकार द्वारा किए गये सभी अन्तर्राज्यीय एकरारनामों के प्रावधानों की राज्य हित में समीक्षा करना एवं जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन से सम्बन्धित राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के समग्र ढाँचे के अन्तर्गत राज्य के हितों की रक्षा एवं भविष्य के लिए नीति निर्धारण के बारे में परामर्श देना।
3. प्रमुख नदी बेसिनों के लिए जल संसाधनों के न्यूनतम भूमि अधिग्रहण पर आधारित विकास एवं प्रबंधन की सर्वांगीण योजना की रूप-रेखा तैयार करना:-
 - (i) सभी नदी/नालों जिसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 100 वर्ग कि॰मी॰ या उससे अधिक है, का जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन हेतु सिंचाई योजना बनाना एवं GIS आधारित मैप पर संरचना, जल ग्रहण क्षेत्र, डूब क्षेत्र एवं कमांड क्षेत्र का आकलन कर अंकित करना।
 - (ii) Gravity Flow से सिंचित नहीं हो पाने वाले क्षेत्रों का अध्ययन एवं आकलन करते हुए सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना से cover किये जाने वाले Command area को पहचान कर समुचित अनुशंसा किया जाना।
4. भूमिगत पाईप लाइन योजना (UGPL)/मेगालिफ्ट योजना के चयन एवं कार्यान्वयन को सक्षम एवं प्रभावी बनाने हेतु निम्न कार्य बिन्दुओं पर अनुशंसा प्रदान करना:-
 - (i) मौजूदा योजनाओं का अध्ययन करते हुए UGPL/मेगा लिफ्ट योजना के चयन एवं कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना।
 - (ii) मेगालिफ्ट पाइपलाइन सिंचाई योजना के चयन के मार्गदर्शन हेतु सर्वोत्कृष्ट/अनुकूलतम प्रति हेक्टेयर ऊर्जा लागत की सीमा शर्तों का निर्धारण करना।
 - (iii) राज्यान्तर्गत UGPL/मेगालिफ्ट योजना के कुशल संचालन एवं रख-रखाव हेतु इस के प्रशासनिक एवं संगठनात्मक संरचना ढाँचे के प्रारूप की अनुशंसा किया जाना।
5. बेसिन/उपबेसिन में जल की उपलब्धता एवं वर्तमान फसल प्रणाली की समीक्षा करना। राज्य की चालू एवं निर्माणाधीन योजनाओं के माध्यम से जल संसाधनों के उपयोग के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन कर भविष्य में मौसम में होने वाले परिवर्तन के मद्देनजर जल की बढ़ती मांग के अनुरूप उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए फसल प्रणाली (Cropping Pattern) एवं प्रावैधिक विकल्पों के बारे में सलाह देना।

6. पूर्ण सिंचाई योजनाओं/परियोजनाओं ई०आर०एम० कार्यों सहित (2000Ha से अधिक CCA) की समीक्षा करना तथा योजनाओं का मूल्यांकन करते हुए उन्हें सक्षम एवं प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय बताना।
7. प्रत्येक बेसिन के प्रमुख बाँधों में सेडिमेन्टेशन एवं इसके जल ग्रहण क्षेत्र में मृदा क्षरण का प्रारंभिक अध्ययन कर तदनुरूप Catchment Area Treatment Plant संबंधी सुझाव देना।
8. बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण से सम्बन्धित मामलों का अध्ययन कर सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना।
9. पूरे राज्य के लिए बेसिन आधारित सूचना प्रणाली विकसित करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल होंगे:-
 - (i) सभी प्रमुख सहायक नदियों के लिए हाइड्रोलॉजिकल सूचना प्रणाली (एच आई एस): वर्षा, मौसम, जलप्रवाह, जल गुणवत्ता, वाष्पीकरण संबंधी आकड़े।
 - (ii) जलग्रहण क्षेत्रों, भूमि उपयोग स्वरूप, जल निकासी पैटर्न, वनस्पति/वनक्षेत्रों का मानचित्र।
 - (iii) सभी प्रकार के जी आई एस/रिमोट सेंसिंग/मानचित्र रिपोर्ट/मानचित्र की प्रतियां डिजिटल रूप में।
 - (iv) बेसिन में वर्तमान सिंचाई योजनाओं/जलाशय संबंधी सूचना- स्थान, जलग्रहण क्षेत्र, डूबक्षेत्र, कमांडक्षेत्र, इत्यादी का मानचित्र डिजिटल एवं जी आई एस रूप में।
10. अन्य महत्वपूर्ण मामले जो बाद में झारखण्ड जल संसाधन आयोग की कार्यावधि के दौरान सामने आते हैं, ऐसे मामले को भी सरकार की अनुशंसा के बाद आयोग के कार्यों में सम्मिलित किया जा सकता है।

➤ आयोग पर होने वाला व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा:-

मुख्यशीर्ष-‘4701’-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-80-विभिन्न आयोगों, संस्थानों एवं अभिकरणों हेतु अनुदान, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59-अन्य व्यय (विपत्र कोड- 49-S-4701-80-796-80-00-07-59)।

वर्ष 2025-26 के बजट में विभिन्न आयोगों, संस्थानों एवं अभिकरणों हेतु अनुदान हेतु शीर्ष 49-S-4701-80-796-80-00-07-59 में ₹ 20.00 लाख का प्रावधान है।

- इस राशि का निकासी के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, राँची होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची होंगे।
- प्रथम झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक-22.05.2025 की बैठक में मद संख्या-03 के तहत प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

परिशिष्ट-1

प्रथम झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग के सदस्यों की सूची

1.	विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची।	:	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य-सचिव
3.	प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
4.	प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
5.	प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
6.	प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
7.	प्रधान सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
8.	प्रधान सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
9.	प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
10.	प्रधान सचिव/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
11.	प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
12.	प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
13.	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
14.	अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
15.	अभियंता प्रमुख-2, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य

प्रथम झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग के कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची

1.	सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	अध्यक्ष
2.	अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य-सचिव
3.	अभियंता प्रमुख-2, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
4.	अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची।	:	सदस्य
5.	मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची।	:	सदस्य
6.	मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची।	:	सदस्य-सह-नोडल पदाधिकारी (कार्यान्वयन)
7.	जल संसाधन विकास विशेषज्ञ (मुख्य अभियंता स्तर के समकक्ष पदाधिकारी)।	:	पूर्णकालिक सदस्य (संविदा)
8.	जल विज्ञान (Hydrology) विशेषज्ञ (मुख्य अभियंता स्तर के समकक्ष पदाधिकारी)।	:	पूर्णकालिक सदस्य (संविदा)
9.	कृषि/मृदा संरक्षण विशेषज्ञ (मुख्य/अधीक्षण अभियंता स्तर के समकक्ष पदाधिकारी)।	:	पूर्णकालिक सदस्य (संविदा)
10.	विधि विशेषज्ञ (विधि विभाग से नामित)।	:	सदस्य
11.	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ (वन विभाग से नामित)।	:	सदस्य
12.	कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले जल संसाधन क्षेत्र में झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ।	:	अंशकालिक सदस्य
13.	उपकुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, झारखण्ड, राँची द्वारा नामित कृषि/मृदा विशेषज्ञ।	:	अंशकालिक सदस्य
14.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड के जल संसाधन विशेषज्ञ।	:	अंशकालिक सदस्य

प्रथम झारखण्ड राज्य जल संसाधन आयोग के Technical Committee के सदस्यों की सूची

Sl. No.	Name of Sub-Committee	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	कार्य
1.	Policy Reform and Legal Committee	(पूर्णकालिक) जल संसाधन विकास विशेषज्ञ (मुख्य अभियंता स्तर के समकक्ष पदाधिकारी)	(पूर्णकालिक) अधीक्षण अभियंता स्तर से अन्यून पदाधिकारी	विभाग द्वारा नामित निम्न विभागीय पदाधिकारी 1 कार्यपालक अभियंता -1 2 सहायक अभियंता-2 3 कनीय अभियंता-2	1, 2, 10
2.	Hydrology and Drainage से संबंधित सब कमिटी	(पूर्णकालिक) जल विज्ञान (Hydrology) विशेषज्ञ (मुख्य अभियंता स्तर के समकक्ष पदाधिकारी)	(पूर्णकालिक) अधीक्षण अभियंता स्तर से अन्यून पदाधिकारी	विभाग द्वारा नामित निम्न विभागीय पदाधिकारी 1 कार्यपालक अभियंता -1 2 सहायक अभियंता-2 3 कनीय अभियंता-2	4, 5, 6, 7, 9, 10
3.	Basin Planning and Irrigation Planning से संबंधित सब कमिटी-1	(पूर्णकालिक) जल संसाधन विकास विशेषज्ञ (मुख्य अभियंता स्तर के समकक्ष पदाधिकारी)	(पूर्णकालिक) अधीक्षण अभियंता स्तर से अन्यून पदाधिकारी	विभाग द्वारा नामित निम्न विभागीय पदाधिकारी 1 कार्यपालक अभियंता-1 2 सहायक अभियंता-2 3 कनीय अभियंता-2	3, 4, 5, 7, 8, 10
4.	Basin Planning and Irrigation Planning से संबंधित सब कमिटी-2	(पूर्णकालिक) जल विज्ञान(Hydrology) विशेषज्ञ (मुख्य अभियंता स्तर के समकक्ष पदाधिकारी)	(पूर्णकालिक) अधीक्षण अभियंता स्तर से अन्यून पदाधिकारी	विभाग द्वारा नामित निम्न विभागीय पदाधिकारी 1 कार्यपालक अभियंता -1 2 सहायक अभियंता-2 3 कनीय अभियंता-2	3, 4, 5, 7, 8, 10
5.	Agriculture and Soil Conservation से संबंधित सब कमिटी	(पूर्णकालिक) कृषि/मृदा संरक्षण विशेषज्ञ (मुख्य/अधीक्षण अभियंता स्तर के समकक्ष पदाधिकारी)	(पूर्णकालिक) अधीक्षण अभियंता स्तर से अन्यून पदाधिकारी	विभाग द्वारा नामित निम्न विभागीय पदाधिकारी 1 कार्यपालक अभियंता-1 2 सहायक अभियंता-2 3 कनीय अभियंता-2	5, 7, 10
6.	Co-ordination, Data Management and Drafting Committee	मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग	अधीक्षण अभियंता स्तर से अन्यून पदाधिकारी	विभाग द्वारा नामित निम्न विभागीय पदाधिकारी 1 कार्यपालक अभियंता-1 2 सहायक अभियंता-2 3 कनीय अभियंता-2	9, 10

नोट:-

- सब कमिटी को आवंटित कार्य (ToR की कंडिका) उक्त सब कमिटी के द्वारा पूर्ण किया जायेगा।
- सभी सब कमिटी आपस में समन्वय स्थापित कर एक दूसरे का सहयोग करेंगे एवं ससमय कार्यों का निष्पादन करेंगे।
